चित्रकूट पुलिस

(1). मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

आज दिनाँक 28.10.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुम कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा (थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा में,थाना बहिलपुरवा द्वारा ग्राम करकापडरिया में,थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम गोपीपुर में,थाना सरधुवा द्वारा सरधुवा स्कूल में,थाना मानिकपुर द्वारा रेलवे स्टेशन मानिकपुर पर,थाना कोतवाली कर्वी द्वारा पोस्ट ऑफिस कर्वी में,) स्थानों पर भ्रमण कर मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का

अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री नरेश कुमार प्रजापति एवं पैरोकार आरक्षी शिवम गुप्ता द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एससी एक्ट श्रीमती गीता सिंह द्वारा आज दिनाँक 29.10.2026 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 316/2017 धारा 323,325,504,506 आईपीसी एवं 3(2)5 ए एससी/एसटी एक्ट के आरोपी अभियुक्त नुनिया उर्फ अर्जुन पुत्र रामलखन निवासी अमवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 6000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.08.2017 को वादी रोहित पुत्र हीरालाल निवासी अमवां थाना राजापुर द्वारा थाना राजापुर में जरिये तहरीर सूचना दी कि अभियुक्त नुनिया उर्फ अर्जुन उपरोक्त द्वारा उन्हे रास्ते में रोककर जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुये गाली गलौच मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 316/2017 धारा 323,325,504,506 आईपीसी एवं 3(2)5 ए एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री सुरेश प्रताप शर्मा द्वारा संम्पादित की गयी।दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन करते हुये आरोपी को के विरुद्ध दिनांक 15.10.2017 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।